न्यायालय :– प्रथम जिला न्यायाधीश, गाडरवारा, जिला–नरसिंहपुर (म.प्र.)
(समक्ष : राजेश कुमार तिवारी)

Registration No-RCA-05/2026
Filing No-112/2026
CNR No. MP49050003482026
Filing Date- 04-02-2026
Registration Date- 04-02-2026

हरिराम वर्मा आत्मज खरगराम वर्मा, उम्र 70 वर्ष,
निवासी विपतपुरा, मगरधा रोड़ नरसिंहपुर,
थाना, तहसील व जिला नरसिंहपुर म.प्र. ————***अपीलार्थी / वादी***

–:: विरूद्ध ::–

01– शंकरलाल आत्मज स्व. बालकिशन लोधी, उम्र 60 वर्ष,
02– राजकुमार आत्मज मुल्लू उर्फ मूलचंद, उम्र 22 वर्ष,
दोनों निवासी बसुरिया, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
03– रामकिशन पुत्र खरगराम लोधी द्वारा–(मृत)
3अ– श्रीमती रामेश्वर बाई पत्नि नंदकुमार लोधी, उम्र 50 वर्ष,
निवासी ग्राम सहावन, तह. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
3ब– सुनील लोधी आत्मज रामकिशन लोधी, उम्र 48 वर्ष,
3स– ब्रजेश लोधी आत्मज रामकिशन लोधी, उम्र 45 वर्ष,
दोनो निवासीगण–ग्राम बसुरिया, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
04– रेवाराम वर्मा आत्मज खरगराम वर्मा, उम्र 65 वर्ष,
निवासी ग्राम बसुरिया, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
05– मध्यप्रदेश राज्य द्वारा– कलेक्टर, नरसिंहपुर ———***उत्तरवादीगण / प्रतिवादीगण***

अपीलार्थी / वादी द्वारा श्री रमाकांत पाराशर अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 1 व 3अ, 3ब, 3स द्वारा श्री शैलेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्र. 4 द्वारा श्री एम.आर. चौधरी, अधिवक्ता।
उत्तरवारी क्र. 2 व 5 एकपक्षीय।

न्यायालय– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (श्री विनय सोनी) की न्यायालय के Civil Suit No.- RCSA-07/2018, Filling No-16/2018, CNR No MP-4905000095-2018, Filling Date- 11-01-2018 (हरिराम वर्मा विरूद्ध शंकरलाल लोधी व अन्य) में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.06.2025 से उद्भूत नियमित व्यवहार अपील।

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 13–08–2026 को घोषित किया गया)

01– यह सिविल अपील धारा 96 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (श्री विनय सोनी) की न्यायालय के Civil Suit No.- RCSA-07/2018, हरिराम वर्मा विरूद्ध शंकरलाल लोधी व अन्य में घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.06.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

02– विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी, **वादी** रहा है तथा उत्तरवादीगण क. 1 लगायत 4, **प्रतिवादीगण क. 1 लगायत 4** रहे हैं। अतः उन्हें प्रकरण में तदानुसार भी सम्बोधित किया जायेगा।

03– अपील, विचारण न्यायालय के जिस व्यवहार वाद से उद्भूत है, उसमें वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचन संक्षेप में यह हैं कि, वादी के पिता खरगराम के नाम ग्राम बसुरिया में एक मकान था। स्व. खरगराम ने अपने जीवनकाल में संयुक्त परिवार के मकान का बंटवारा मौखिक रूप से वादी तथा प्रतिवादी क. 03, 04 और बालकिशन के मध्य कर दिया था तथा मौखिक बंटवारा सभी की सहमति से किया गया था। आपसी मौखिक बंटवारा में प्रतिवादी क 4 को स्व. खरगराम द्वारा विक्रय किया गया मकान सड़क की ओर नगपुरिया के पूर्व वाला समाधि के सामने दिया गया था। बंटवारे में प्रतिवादी क. 04 रेवाराम को सीमेंट रोड स्थित दूसरी ओर बना मकान दिया गया था, जिसे प्रतिवादी क. 04 ने उमेद सेठ को बेचकर नया मकान बना लिया है। प्रतिवादी क. 04 को दिया गया

मकान स्व. खरगराम ने खरीदा था। प्रतिवादी क्र. 03 को खरगराम द्वारा क्रय किया गया सुनार वाला मकान बंटवारे में दिया गया था। वादी को आपसी पारिवारिक बटवारे में दो–दो कोठें (कमरा) आमने–सामने एवं बीच में आंगन वाला मकान मिला था। उक्त मकान के दो कोठे (कमरा) एवं आंगन वादी को प्रदान किया गया था। स्व. बालकिशन ने उसको प्राप्त हिस्से में एक कोठा (कमरा) अपने पुत्र प्रतिवादी क्र. 01 शंकरलाल को प्रदान किया था जिसे शंकरलाल ने तोड़कर उक्त स्थान पर एक पक्का कोठा (कमरा) बना लिया है तथा स्व. मुल्लू को प्राप्त कोठे (कमरा) पर प्रतिवादी क्र. 02 राजकुमार काबिज है। वादी को प्राप्त 2 कोठे (कमरा) व आधे आंगन पर काबिज था, चूंकि वादी बाहर नौकरी करता था इस कारण वादी समय–समय पर मकान की देखभाल करने आता था तथा वादी द्वारा उसे प्राप्त मकान के एक कोठे (कमरा) में ताला डालकर अपना निजी सामान बर्तन आदि रखे थे। वादी का मकान जीर्ण–शीर्ण अवस्था में था तथा गिर गया था जिसे वादी ने पक्का कोठा आंगन में बनाया था।

04– वादपत्र अनुसार प्रतिवादी क्र. 01 वादी की सहमति से वादी की खाली भूमि पर मवेशी बांधता रहा है तथा वादी के कहने पर प्रतिवादी क्र. 01 हमेशा यह आश्वासन देता रहा है कि आवश्यकता होने पर वादी के हिस्से की जमीन छोड़ देगा। वादी के हिस्से का मकान जीर्ण–शीर्ण हो गया था तथा दोनों तरफ की दीवारें गिर गयी थी व छप्पर भी गिर गया था इसलिए वादी ने प्रतिवादी क्र. 01 से कहा कि वह वादी की भूमि पर मवेशी नहीं बांधे ताकि वादी अपने मकान की मरम्मत करा सके। परंतु प्रतिवादी क्र. 01 ने कब्जा खाली करने से मना कर दिया और लड़ाई–झगड़ा करने लगा जिसकी रिपोर्ट वादी ने दिनांक 24.09.2016 को पुलिस चौकी सालीचौका में की थी।

05– वादपत्र अनुसार पश्चात् में प्रतिवादी क्र. 01 ने वादी के कोठे (कमरा) को भीतर से तोड़कर उसमे रखे गृहस्थी के सामान पर कब्जा कर लिया तथा जबरन दरवाजा लगा दिया जिसके संबंध में वादी द्वारा पुनः दिनांक 27.05.2017 को पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर के समक्ष शिकायत की थी। प्रतिवादी क्र. 01,

वादी की स्वामित्व की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य करना चाहता था, इस कारण वादी ने दिनांक 24.05.2017 को निर्माण कार्य न करने के संबंध में नोटिस दिया था जो उसे प्राप्त हो गया था तथा प्रतिवादी क. 01 ने निर्माण कार्य रोक लिया था परंतु वादी तीर्थ यात्रा हेतु दक्षिण भारत चला गया था। जब वादी दिनांक 14.07.2017 को वापस आया और दिनांक 18.07.2017 को ग्राम बसुरिया गया तो उसने देखा कि प्रतिवादी क. 01 द्वारा वादी की स्वामित्व की भूमि पर अनाधिकृत रूप से दीवार बना ली है तथा मना करने पर प्रतिवादी क. 01 लडाई झगडा करने लगा जिसके संबंध में वादी ने दिनांक 25.07.2017 को पुलिस चौकी सालीचौका एवं पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर के समक्ष शिकायत की थी। वादी द्वारा दिनांक 24.07.2017 को प्रतिवादी क. 01 को वादग्रस्त भूमि पर आगे निर्माण कार्य न करने हेतु सूचना पत्र भी प्रदान किया गया था, परंतु प्रतिवादी क. 01 ने सूचना प्राप्त होने के बावजूद बलपूर्वक दिनांक 16.09.2017 को पक्का निर्माण कार्य कर लिया। प्रतिवादी क. 1 द्वारा वादी की मालकियत की जगह पर अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्य कर लिया गया है जिस पर उसका कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी को स्वत्व घोषणा एवं रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने बाबत उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है।

06— <u>प्रतिवादी कमांक 01</u> द्वारा जवाबदावा में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की कंडिकाओं को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन में व्यक्त करते हुए अभिवचन किया है कि वादी शासकीय नौकरी में था इसलिए वह बसुरिया में निवास नहीं करता है तथा वर्ष 1986 से वादी ने नरसिहंपुर में मकान निर्माण कर निवास करने लगा है। स्व. खरगराम की मृत्यु लगभग 55 वर्ष पूर्व हो गयी थी। उस समय बालकिशन उनके वयस्क पुत्र थे तथा शेष तीनों पुत्र अवयस्क थे। बालकिशन ने अपने तीनों भाईयों का पालन—पोषण किया था तथा बालकिशन एवं उसके तीनों भाईयों का संयुक्त हिंदू परिवार था जिसकी आय से बालकिशन ने बसुरिया में दो मकान कय किये थे तथा ग्राम बसुरिया में बालकिशन का एक मकान पूर्व से ही था। इस प्रकार उक्त संयुक्त हिंदू परिवार के बसुरिया में तीन मकान थे। तत्पश्चात वर्ष 1985 में सभी भाईयों ने यह तय किया कि वे अपनी

चल–अचल संपत्ति का बंटवारा कर ले। बालकिशन एवं उनके भाई रामकिशन एवं रेवाराम ग्राम बसुरिया में निवास कर कृषि कार्य करते थे तथा वादी नरसिंहपुर में शासकीय कार्य करता था, इस कारण उसे ग्राम बसुरिया में मकान की कोई आवश्यकता नहीं थी जिस कारण चारों भाईयों ने तय किया कि संयुक्त हिंदू परिवार की आय से नरसिंहपुर में वादी के नाम भूखण्ड क्रय कर उस पर मकान निर्माण कराने के उपरांत विभाजन होगा।

07– प्रतिवादी ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि स्व. खरगराम एवं उनके तीनों भाईयों के संयुक्त हिंदू परिवार के पास ग्राम बसुरिया एवं मारेगांव में लगभग 40 एकड़ भूमियाँ थी, जिनकी आय से दिनांक 09.12.1985 को वादी की पत्नी कौशल्या बाई के नाम ग्राम रौसरा स्थित खसरा नंबर 54/1 में से अंश रकबा 0.026 हे. भूमि 7500/–(सात हजार पांच सौ रूपये) में क्रय की गयी थी। उक्त भूमि नगरपालिका परिषद, नरसिंहपुर के अंतर्गत है जिस पर बालकिशन एवं उनके तीनों भाई की संयुक्त आय से मकान निर्माण कराया गया है। अक्टूबर 1986 में वादी एवं उसके तीनों भाईयों के मध्य भूमियों एवं संपत्तियों का बटवारा हुआ, जिसमें ग्राम बसुरिया की आबादी भूमि में स्थित मकान पूर्व–पश्चिम 40 फुट एवं उत्तर–दक्षिण 60 फुट स्व. बालकिशन के हिस्से में आया जिसमें दो कमरे एवं एक दहलान थी एवं शेष जगह खाली थी। इस मकान के पूर्व में रामजी लोधी का मकान, पश्चिम में रामकिशन का मकान रोड, दक्षिण में रास्ता एवं गोपाल लोधी का मकान तथा उत्तर में समाधि रामकिशन का मकान स्थित है। प्रतिवादी क्र. 03 को ग्राम बसुरिया की आबादी भूमि में स्थित सुनार वाला मकान तथा प्रतिवादी क्र. 04 को सडक के दूसरी ओर स्थित समाधि के सामने वाला मकान प्राप्त हुआ। उक्त मकान बालकिशन ने संयुक्त हिंदू परिवार की आय से क्रय किये गये थे।

08– प्रतिवादी क्र. 1 ने आगे यह भी अभिवचन किया है कि वादी को ग्राम रौसरा के खसरा नं. 55/1 में निर्मित मकान प्राप्त हुआ था। मौखिक बटवारे के पश्चात् वादी का वादग्रस्त मकान पर कोई स्वत्व शेष नहीं रहा था। बालकिशन ने उनके जीवनकाल में दो पक्के कमरों का निर्माण भी कराया था। बालकिशन के

दो पुत्र शंकरलाल एवं मुल्लू उर्फ मूलचंद थे। मुल्लू उर्फ मूलचंद की मृत्यु बालकिशन के जीवनकाल में ही हो गयी थी। बटवारे के पश्चात् तथा मुल्लू की मृत्यु होने के पश्चात् बालकिशन के जीवनकाल तक बालकिशन प्रतिवादी क. 01 तथा 02 का संयुक्त परिवार था। बालकिशन की मृत्यु दिनांक 01.09.2013 के पश्चात् प्रतिवादी क. 01 एवं 2 का संयुक्त परिवार रहा है। जनवरी 2016 में प्रतिवादी क. 01 एवं 02 का चल एवं अचल संपत्ति का मौखिक बंटवारा हुआ। उक्त मौखिक बंटवारा में बालकिशन वाले मकान में बालकिशन द्वारा निर्मित दो पक्के कमरे एवं दो खाली जगह प्रतिवादी क. 01 तथा कच्चा मकान एवं खाली जगह प्रतिवादी क. 02 को बटवारे में प्राप्त हुई। वादी उक्त मौखिक बटवारे में पंच के रूप में सम्मिलित था। दिनांक 01.02.2016 को उक्त मौखिक बंटवारे को लिपिबद्ध किया गया था जिसमें पंचों के रूप में वादी ने हस्ताक्षर किये थे। वादी ने जिस मकान के कब्जा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है। वादपत्र के अभिवचनों से ही उसकी पहचान नहीं होती। वादी एवं प्रतिवादी क. 01 सगे चाचा–भतीजे है तथा उनके मध्य कुछ लेन देन हुआ था जिसे प्रतिवादी क. 01 ने पूर्व में चुका दिया था परंतु वादी ने और अधिक राशि वसूलने हेतु झूठे नोटिस देकर असत्य आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क. 01 के पिता एवं प्रतिवादी क. 02 के पितामह वर्ष 1986 से उनके हिस्से में आये मकान पर वादी एवं प्रतिवादी क. 03 एवं 04 तथा अन्य सभी व्यक्तियों की जानकारी में लगातार शांतिपूर्वक आधिपत्य में रहे है, जिस कारण प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर ही वादी का स्वत्व समाप्त हो चुका है। अतः प्रतिवादी क. 01 का निवेदन स्वीकार कर वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

09– <u>प्रतिवादी क. 4 द्वारा</u> जवाबदावा प्रस्तुत कर अभिवचन किया गया है कि रामकिशन, शंकर एवं रेवाराम के द्वारा अपनी आय से मकान बनाये गये थे जिनमें वे अपने परिवार सहित 40 वर्षों से अधिक समय से निवासरत है। इसलिए वादी का कोई हक मकान में नहीं है। वास्तव में पिता की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी रामकिशन, रेवाराम एवं स्व. बालकिशन द्वारा वादी को पढ़ाया गया तथा प्रतिवादीगण ने अपनी आय से वादी के नाम विपतपुरा, मगरधा रोड नरसिहंपुर में

प्लाट खरीदकर पक्का मकान बना दिया और पुराना मकान एवं खाली जगह प्रतिवादीगण को दे दी जिस पर बालकिशन के वारसान एवं रामकिशन ने अपने–अपने मकान बना लिये है। शेष भूमि प्रतिवादी रेवाराम के हिस्से की है जिसमें 40 वर्षों से प्रतिवादी शांतिपूर्वक निवासरत रहा है। नरसिहंपुर स्थित मकान में एक कमरा रेवाराम को एवं एक कमरा बालकिशन को दिया गया था जिसमें प्रतिवादीगण के बच्चे रहकर पढ़ते है। वादी के पास पक्का मकान होने के कारण उसे गांव के मकान में कोई हिस्सा नहीं दिया गया। प्रतिवादी क्र. 01, 02 एवं 03 ने अपने हिस्से पर निर्माण कर लिया गया है जिन्हें वादी अपना बता रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठी शिकायते प्रस्तुत की है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई हित निहित नहीं है। वादी ने असत्य आधारों पर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

10– विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्र. 3 तथा उनके विधिक प्रतिनिधि तथा प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11– उभयपक्ष के अभिवचनों एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये एवं साक्ष्य उपरांत विवेचना के आधार पर निम्नानुसार निष्कर्ष दिये गये है–

क्र.	**वादप्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या वादी, वादग्रस्त मकान, स्थित मौजा बसूरिया के दो कोठे (कच्चे) एवं आधा आंगन संलग्न मानचित्र का स्वत्वाधिकारी है ?	**''नासाबित''**
2	क्या वादी वादग्रस्त मकान पर किये गये निर्माण कार्य को तोड़कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?	**''नासाबित''**
3	क्या वादग्रस्त मकान, संयुक्त परिवार का मकान होने से उसके संबंध में बंटवारा दिनांक 0.02.2016 निष्पादित होने एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता बालकिशन के वादग्रस्त मकान पर प्रतिकूल कब्जे के कारण भी, पर वादी का कोई स्वत्व शेष नहीं है ?	**''हॉ कोई स्वत्व शेष नहीं है''**

4	क्या वादग्रस्त मकान के स्पष्ट न होने से वाद अप्रचलनशील है ?	**''हॉ''**
5	सहायता एवं खर्च ?	**''निर्णय के पैरा 42 अनुसार वाद निरस्त''**
6	क्या वादी द्वारा अपने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	**''वादी द्वारा 200/– अंकन दो सौ रुपये न्यायशुल्क कम अदा किया गया है।''**

12– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णय घोषित कर वादी का दावा निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

13– अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि, अधोन्यायालय का निर्णय एवं आज्ञप्ति सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध, विपर्यस्त एवं त्रुटिपूर्ण है। अधोन्यायालय द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया है। अपीलार्थी की साक्ष्य तथा उसके दो समर्थन साक्षी की साक्ष्य अखंडित रही है जिसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विधि का सिद्धांत है कि जब किसी साक्ष्य व दस्तावेज का खंडन वास्तव में नहीं है तो वह अखंडित मानी जायेगी तथा उक्त साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी ने अपना दावा पूर्णतः प्रस्तुत किया है एवं अपीलार्थी ने अपनी साक्ष्य के अतिरिक्त सुसंगत निर्णायक दस्तावेज पेश किया है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर मामला पूर्णतः प्रमाणित है। साथ ही स्थानीय ग्राम पंचायत निकाय का पंचनामा प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 8 और 9 भी है जिससे अपीलार्थी की वास्तविक खानदानी व पैतृक भूमि के सम्बध में हक हिस्सा व स्वत्व प्रमाणित होता है एवं नक्शा प्रदर्श पी 10 भी अंखडित है तथा प्रदर्शित है जिसके संदर्भित कोई विपरीत साक्ष्य अभिलेख पर नही है। इसके अतिरिक्त 1 लगायत 7 के दस्तावेज भी मामले को प्रमाणित करते है जिसमें विभिन्न विभागों में की गयी शिकायतें है साथ ही पुलिस द्वारा मामला अपराधिक एवं प्रकरण की वास्तविकता को उजागर करता

है, इस प्रकार अधोन्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर विचार नहीं किया गया है।

14— अपील के आधार यह भी है कि अधोन्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में प्रदर्श 1 लगायत 14 के दस्तावेज पूर्णतः प्रकरण के सुसंगत है साथ ही विरोधी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश कर उपरोक्त दस्तावेजो का खंडन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज अखंडित है साक्ष्य द्वारा मामला पूर्णतः प्रमाणित है मात्र विचारण न्यायालय द्वारा चतुर्सीमा के बारे में बार बार आधार बनाकर लिखा गया है जबकि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा से पूर्णतः वास्तविक स्थिति उजागर होती है जिसके सम्बध में न्यायालय द्वारा वादप्रश्न कमांक 1 मानचित्र को लेकर बनाया गया है परन्तु उसके विपरीत निर्णय देकर गंभीर भूल की है। इसी तरह वादप्रश्न कमांक 2 पूर्णतः प्रमाणित है परन्तु निर्माण कार्य तोड़कर कब्जा न दिलाये जाने का निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रश्न कमांक 3 के बारे में जो निष्कर्ष दिया है वह उचित नही है अधीनस्थ न्यायालय ने दिनाँक 01.02.2016 को बंटवारा निष्पादित होने तथा उक्त आधार पर प्रतिवादी कमांक 1 के पिता बालकिशन का कब्जा होने के कारण वादी का कोई स्वत्व नहीं होने का दिया गया निष्कर्ष पूर्णतः गलत है जिसके बारे में कोई सक्षम दस्तावेज न्यायालय के अभिलेख पर नहीं है फिर किस आधार पर निष्कर्ष दिया गया है, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी की जगह पर बालकिशन का उसके उत्तराधिकारी का कब्जा कैसे हो सकता है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष कोई प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है ना ही अपने प्रतिकूल कब्जे को प्रमाणित किया है। ऐसी स्थिति में उक्त दिया गया निष्कर्ष पूर्णतः विधि विरूद्ध है।

15— अपील के आधार यह भी है कि वादप्रश्न कमांक 4 के बारे में लिखा गया है कि मकान की स्पष्टता न होने के कारण वादप्रश्न में सकारात्मक निर्णय लिया है कि प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है परंतु प्रकरण में संलग्न मानचित्र के आधार पर स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है। मानचित्र के आधार पर दावा पूर्णतः समाहित है फिर उसे किस आधार पर पृथक माना जा सकता है, उक्त निष्कर्ष पूर्णतः विधि

विरूद्ध है। अधोन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 30.06.2025 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

16— **अपील के निराकरण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि—**

1. क्या विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.06.2025 तथ्य एवं विधि की भूल करते हुये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर आधारित है ?

2. क्या आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति अपास्त किये जाने योग्य है ?

3. सहायता एवं अपील व्यय ?

"विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष"

—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 2 ::—

17— उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्ष्य अंतर्मिश्रित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सुविधा की दृष्टि से उन पर एक साथ विचार कर उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

18— वादी साक्षी हरिराम वर्मा वा.सा. 1 ने अपने साक्ष्य शपथ पर में अभिकथित किया है कि वह ग्राम बसुरिया का स्थाई निवासी है तथा वर्तमान में नरसिंहपुर में निवास कर रहा है। उसके पिता स्व. खरगराम द्वारा अपने जीवनकाल में संयुक्त परिवार के मकान का मौखिक बंटवारा उसे तथा उसके भाईयों के बीच में कर दिया था। मौखिक बंटवारा में प्रतिवादी क 4 रेवाराम को स्व. खरगराम द्वारा मकान जो कि सड़क की ओर नगपुरिया थी एवं समाधि के सामने दिया गया था जो कि सीमेंट रोड़ स्थित दूसरी ओर बना है दिया गया था जिसे रेवाराम ने उमेद सेठ को बेंच दिया है व नया मकान बना लिया है। प्रतिवादी क्र. 3 रामकिशन को सुनार वाला मकान जो स्व. खरगराम ने खरीदा था दिया था। आपसी पारिवारिक बटवारे में उसको दो—दो कोठें (कमरा) आमने—सामने एवं बीच में आंगन वाला मकान मिला था। उक्त मकान के दो कोठे (कमरा) एवं आंगन

उसको प्रदान किया गया था तथा स्व. बालकिशन को हिस्से में प्राप्त वादग्रस्त मकान के 2 कोठा एवं आधा आंगन दिया गया था जिसमें उसके भाई बालकिशन ने अपने बड़े लड़के शंकर प्रतिवादी क्र. 1 को एक कोठा (कमरा) तथा एक कोठा अपने पुत्र स्व. मूलचंद उर्फ मुल्लू को दिया था जो उक्त जगह पर स्व. मूल्लू का लड़का राजकुमार काबिज है।

19— इस साक्षी ने यह भी अभिवचन किया है कि वह मौखिक बंटवारे में प्राप्त 2 कोठा (कमरा) एवं आधे आंगन पर काबिज रहा है तथा वह नौकरी करने हेतु बाहर रहता है तथा समय—समय पर प्राप्त हिस्से की देखभाल करने हेतु ग्राम बसुरिया आता—जाता रहता है। प्राप्त हिस्से के एक कोठे में उसका ताला डला हुआ था व गृहस्थी का सामान रखा था। उसका एक कोठा जो जीर्ण—शीर्ण हालत में था गिर गया था तो उसने एक कोठा आंगन में बनाया है। उसकी खाली जमीन पर उसकी सहमति से शंकर अपने मवेशी बांधता रहा है तथा उसे यह आश्वासन दिया था कि उसे जरूरत पड़ने पर मवेशी बांधने की जगह छोड़ देगा। उसका कोठा (कमरा) कभी भी गिर सकता था क्योंकि दोनों तरफ की दीवारें गिर गयी थी तो उसने शंकरलाल से कहा कि उसकी जगह पर मवेशी न बांधे ताकि वह अपने मकान की मरम्मत करा सके तो शंकरलाल ने कब्जा अलग करने से मना कर दिया और झगड़ा करने के लिए उतारू हो गया जिसकी रिपोर्ट उसने दिनांक 25.09.2016 को चौकी सालीचौका में की थी।

20— शंकरलाल ने उसके कोठे को भीतर से तोड़कर दरवाजा लगा लिया है व उसकी गृहस्थी का सामान पर कब्जा कर लिया है जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस चौकी सालीचौका में दिनांक 23.05.2017 व पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर को की थी। शंकरलाल उसके कोठे के उपर निर्माण करना चाहता था इस कारण उसने नोटिस दिया था जिस कारण शंकरलाल ने निर्माण कार्य रोक दिया था, तत्पश्चात वह तीर्थ यात्रा में चला गया था। जब वह वापस आया और दिनांक 18.07.2017 को ग्राम बसुरिया आया तो देखा कि शंकरलाल द्वारा उसके कोठे के उपर दीवार उठा ली थी और मना करने पर लड़ाई—झगड़ा करने लगा

था जिसकी रिपोर्ट उसने पुनः दिनांक 25.07.2017 को की थी तथा शंकरलाल ने दिनांक 16.09.2017 को पक्का लेन्टर डाल दिया था जबकि उक्त भूमि पर शंकरलाल का कोई हक व अधिकार नहीं है वह उसकी मालकियत की जगह है।

21— वादी साक्षी महेन्द्र लोधी वा.सा. 2 ने अभिकथन किया है कि उसने हरिराम के हिस्से का मकान देखा है, हरिराम के मकान में 2 कोठा व आधा आंगन है जिस पर हरिराम का कब्जा था, हरिराम अपने मकान के कोठे व आंगन की देखभाल करने हेतु बसुरिया आता—जाता रहता था तथा एक कोठे में हरिराम का ताला डला रहता था। एक कोठा जीर्ण—शीर्ण हालत में था जो गिर गया था, दीवार एवं छप्पर गिर गया था। हरिराम ने आंगन में एक कोठा बनाया था। उनकी खाली जगह में शंकरलाल मवेशी बांधता है व कहने पर भी खाली नहीं किया है। हरिराम के जिस कोठे में ताला डला था व सामान रखा हुआ था शंकरलाल ने उसका ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था तथा सामान भी ले गया था। शंकरलाल ने करीब एक वर्ष पूर्व हरिराम की जगह में कोठा बना लिया है तथा मवेशी बांधने की जगह नहीं छोड़ी है।

22— वादी साक्षी बादामी वा.सा. 3 ने अभिकथन किया है कि वह हरिराम को जानता है तथा प्रतिवादी क्र. 1 से 4 को भी जानता है। स्व. खरगराम वादी तथा प्रतिवादी क्र. 3 व 4 के पिता थे। वादी के पिता खरगराम वर्मा के पास ग्राम बसुरिया में दो मकान व मौजा मारेगांव में 20—25 एकड़ जमीन है। स्व. खरगराम ने अपने जीवनकाल में उनके चारों पुत्रों के मध्य उक्त मकान एवं भूमि का बंटवारा कर दिया था। बंटवारा के बाद मकान व भूमि वादी के पिता खरगराम द्वारा अपने चारों पुत्रों को रहने एवं निस्तार के लिए दे दी थी। वर्तमान में शंकर ने वादी के हिस्से के मकान में जबरन कब्जा कर लिया है। वादी हरिराम शासकीय सेवा में था तथा सेवा के दौरान वे बाहर रहते थे तथा कभी—कभी उनका ग्राम बसुरिया आना—जाना होता था। उनके हिस्से की भूमि वह बटिया लिया करता था।

23— वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर को की गई शिकायत दिनांक 04.05.2021 की प्रति प्रदर्श पी. 01, उप थाना प्रभारी सालीचौका को की गई शिकायत 06.02.2020 की प्रति प्रदर्श पी. 02, थाना प्रभारी सालीचौका को की गई शिकायत दिनांक 20.06.2018 की प्रति प्रदर्श पी. 03, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को की गई शिकायत दिनांक 04.05.2021 की प्रति प्रदर्श पी. 05 प्रस्तुत की गयी है। उक्त सभी शिकायतें वादी द्वारा दावा प्रस्तुति दिनांक के पश्चात की है। वादी द्वारा प्रस्तुत थाना गाडरवारा की सालीचौका चौकी में पंजीबद्ध पुलिस हस्तक्षेप आयोग की सूचना 104/2017 दिनांक 02.05.2017 की प्रति प्रदर्श पी. 04, थाना प्रभारी सालीचौका को की गई शिकायत दिनांक 25.07.2017 की प्रति प्रदर्श पी. 06, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर के समक्ष 23.05.2017 की प्रति प्रदर्श पी. 07 के अवलोकन से वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध मकान की मारपीट को लेकर की गयी शिकायत किया जाना प्रकट होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी शंकरलाल को भेजी गये नोटिस दिनांक 24.07.2017 की कार्यालयीन प्रति प्रदर्श पी. 11, डाक रसीद प्रदर्श पी. 12 व 13 तथा अभिस्वीकृति प्रदर्श पी. 14 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी क्र. 1 को सूचना प्रेषित किया जाना प्रकट होता है।

24— वादी द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर लिखे गये पंचनामा प्रदर्श पी. 08 की इबारत के अवलोकन से पंचों के समक्ष यह लेख लिखा जाना प्रकट होता है कि हरिराम और शंकरलाल के मध्य आपसी सहमति के आधार पर यह निश्चित हुआ है कि हरिराम, शंकरलाल के निस्तार के कच्चे मकान को तोड़कर जिसे नया बनाना चाह रहा है तब तक नहीं तोड़ेगा जब तक शंकरलाल अपने निवास के लिए जगह नहीं ढूंढ लेते। उक्त पंचनामा सादे कागज पर दिनांक 07.05.2016 को लेख किया जाना दर्शित है किंतु उक्त पंचनामा को वादी द्वारा उक्त पंचनामा में कथित रूप से हस्ताक्षर करने वाले किसी साक्षी से प्रमाणित नहीं कराया गया है। वादी द्वारा ग्राम पंचायत बसुरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श पी. 09 प्रस्तुत की गयी है जो दिनांक 08.06.1992 को सरपंच ग्राम पंचायत

बसुरिया द्वारा हस्ताक्षरित होना प्रकट होती है जिसमें आबादी की भूमि पर बने पैतृक मकान नंबर 140ख को नजरी नक्शा के अनुसार प्रमाणित किया जाना लेख है। वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बसूरिया द्वारा जारी नक्शा की प्रति प्रदर्श पी. 10 प्रस्तुत की गयी है जो कि दिनांक 30.07.1974 को तैयार किया जाना एवं ग्राम पंचायत बसुरिया द्वारा दिनांक 08.06.1992 को प्रमाणित किया जाना दर्शित है किंतु वादी द्वारा उक्त प्रपी. 8 एवं 9 के दस्तावेजों को मात्र प्रदर्शित कराया गया है। उक्त दस्तावेजों को उनके रचनाकारों से प्रमाणित नहीं कराया गया है। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

25— प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है किंतु प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा अपने जवाबदावा में अभिवचन किया गया है कि उनके पिता स्व. खरगराम की मृत्यु लगभग 55 वर्ष पूर्व हो गयी थी। उस समय बालकिशन उनके वयस्क पुत्र थे तथा शेष तीनों पुत्र अवयस्क थे। बालकिशन ने अपने तीनों भाईयों का पालन—पोषण किया था तथा बालकिशन एवं उसके तीनों भाईयों का संयुक्त हिंदू परिवार था जिसकी आय से बालकिशन ने बसुरिया में दो मकान क्रय किये थे तथा ग्राम बसुरिया में बालकिशन का एक मकान पूर्व से ही था। इस प्रकार उक्त संयुक्त हिंदू परिवार के बसुरिया में तीन मकान थे। तत्पश्चात वर्ष 1985 में सभी भाईयों ने यह तय किया कि वे अपनी चल—अचल संपत्ति का बंटवारा कर ले। बालकिशन एवं उनके भाई रामकिशन एवं रेवाराम ग्राम बसुरिया में निवास कर कृषि कार्य करते थे तथा वादी नरसिंहपुर में शासकीय कार्य करता था, इस कारण उसे ग्राम बसुरिया में मकान की कोई आवश्यकता नहीं थी जिस कारण चारों भाईयों ने तय किया कि संयुक्त हिंदू परिवार की आय से नरसिंहपुर में वादी के नाम भूखण्ड क्रय कर उस पर मकान निर्माण कराने के उपरांत विभाजन होगा। स्व. खरगराम एवं उनके तीनों भाईयों के संयुक्त हिंदू परिवार के पास ग्राम बसुरिया एवं मारेगांव में लगभग 40 एकड़ भूमियाँ थी, जिनकी आय से दिनांक 09.12.1985 को वादी की पत्नी कौशल्या बाई के नाम ग्राम रौसरा स्थित खसरा नंबर 54/1 में से अंश रकबा 0.026 हे. भूमि 7500/—(सात हजार पांच सौ रूपये) में क्रय की गयी थी। उक्त भूमि नगरपालिका परिषद, नरसिंहपुर

के अंतर्गत है जिस पर बालकिशन एवं उनके तीनों भाई की संयुक्त आय से मकान निर्माण कराया गया है।

26— अक्टूबर 1986 में वादी एवं उसके तीनों भाईयों के मध्य भूमियों एवं संपत्तियों का बटवारा हुआ, जिसमें ग्राम बसुरिया की आबादी भूमि में स्थित मकान पूर्व—पश्चिम 40 फुट एवं उत्तर—दक्षिण 60 फुट स्व. बालकिशन के हिस्से में आया जिसमें दो कमरे एवं एक दहलान थी एवं शेष जगह खाली थी। इस मकान के पूर्व में रामजी लोधी का मकान, पश्चिम में रामकिशन का मकान रोड, दक्षिण में रास्ता एवं गोपाल लोधी का मकान तथा उत्तर में समाधि रामकिशन का मकान स्थित है। प्रतिवादी क्र. 03 को ग्राम बसुरिया की आबादी भूमि में स्थित सुनार वाला मकान तथा प्रतिवादी क्र. 04 को सडक के दूसरी ओर स्थित समाधि के सामने वाला मकान प्राप्त हुआ। उक्त मकान बालकिशन ने संयुक्त हिंदू परिवार की आय से क्रय किये गये थे। इस प्रकार प्रतिवादी क्र. 1 के अभिवचन से ग्राम बसुरिया की आबादी में स्थित वादग्रस्त मकान संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति होना प्रकट होती है जिसे प्रतिवादी क्र. 1 ने अपने पिता बालकिशन को हिस्से में मिलना बताया है।

27— प्रतिवादी क्र. 4 जो कि वादी का सगा भाई है उसके द्वारा पृथक से जवाबदावा प्रस्तुत कर अभिवचन किया गया है कि उसके एवं वादी के पिता स्व. खरगराम की मृत्यु 62 वर्ष पूर्व हो चुकी है, उनके पास जीर्ण—शीर्ण हालत की छोटी सी कच्ची खपरैल का मकान था जो कई वर्ष पूर्व टूट गया था। खरगराम द्वारा कोई मकान नहीं खरीदा गया था। रामकिशन एवं रेवाराम द्वारा अपनी कमाई से मकान बनाये गये है जिसमें वे 40 वर्षों से निवासरत है। पिता खरगराम की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी रामकिशन, रेवाराम व स्व. बालकिशन द्वारा वादी को पढ़ाया गया और नौकरी लगने के बाद वादी के नाम से नरसिंहपुर में प्लाट खरीदकर मकान बनवा दिया गया है। वादी को ग्राम बसुरिया के मकान में कोई जगह नहीं दी गयी थी।

28– इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अभिवचन अनुसार खरगराम की मृत्यु के समय वादी नाबालिग था, बालकिशन एवं अन्य भाईयों द्वारा उसे पढ़ाया–लिखाया गया है एवं उसकी नौकरी लगने के उपरांत संयुक्त परिवार की आय से नरसिंहपुर में उसे प्लाट खरीदवाकर मकान बनवाया गया है। इसके विपरीत वादी का अभिवचन एवं कथन है कि खरगराम के नाम से मौजा बसुरिया में संयुक्त परिवार का मकान था जिसका खरगराम ने अपने जीवनकाल में मौखिक बंटवारा उसके तथा उसके भाइयों के बीच कर दिया था। अतः उक्त संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन आवश्यक है।

29– प्रकरण में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें वादग्रस्त मकान खरगराम के स्वामित्व में कभी दर्ज रहा हो। वादी हरिराम वा.सा. 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पिता खरगराम की मृत्यु वर्ष 1961–62 में हो गयी थी। उसे याद नहीं है कि उसका मौखिक बंटवारा कब हुआ था क्योंकि वह उस समय प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। इस साक्षी ने बंटवारे के समय अपनी उम्र 12–14 वर्ष होना अभिकथित किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उसे मकान के बंटवारे की बात उसके बड़े भाई एवं पड़ोसियों के बताये अनुसार है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अपने वाद पत्र में यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि बालकिशन को कितने कोठे बंटवारे में दिये गये थे और उनकी लंबाई और चौडाई कितनी थी। इस प्रकार वादी द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति से यह प्रकट होता है कि अपने पिता खरगराम की मृत्यु के समय उसकी आयु 12–14 वर्ष की थी। ऐसी स्थिति में उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही संयुक्त परिवार को मकान का मौखिक बंटवारा कर दिये जाने संबंधी कथन विश्वसनीय नहीं है।

30– वादी हरिराम वा.सा. 1 ने अभिकथित किया है कि उसकी नौकरी दिनांक 20.10.1972 को लगी थी, उसकी पहली पदस्थापना सागर में हुई थी, वह अगस्त 1994 से नरसिंहपुर में निवास करता आ रहा है। प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसका और उसके परिवारजनों का नाम ग्राम बसुरिया की

मतदाता सूची में नहीं है। वह गांव में ही नहीं रहता था इसलिए उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अभी वर्तमान स्थिति में बिपतपुरा, नरसिंहपुर की मतदाता सूची में उसका नाम है। वह वर्ष 2008 में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसकी सेवानिवृत्ति के 17 वर्ष हो चुके हैं किंतु उसने गांव की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है।

31— वादी हरिराम द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया गया है कि उसने वादपत्र के साथ कोई नक्शा संलग्न नहीं किया है, जो नक्शा पेश किया है वह अलग से पेश किया है। उसके द्वारा वादपत्र में प्रदर्शित दो कोठे एवं आंगन की लंबाई एव चौडाई का उल्लेख अपने वादपत्र में नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने वादपत्र में उनकी चतुर्सीमा भी लेख नहीं की है। आगे इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि शंकरलाल व राजकुमार के बीच वर्ष 2016 में बंटवारा हुआ है जिसके लिए उनके मध्य याददास्त बंटवारा दिनांक 01.02.2016 को लिखा गया था जिसमें उसके साक्षी के रूप में हस्ताक्षर है।

32— वादी द्वारा वर्तमान वाद बंटवारा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि संलग्न मानचित्र में बताये मकान का मालिक घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी का मकान तोड़कर कब्जा दिलाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त स्थान की पहचान एवं वादग्रस्त स्थान पर स्वामित्व साबित करने का कठोर भार वादी पर है किंतु वादी द्वारा अपना स्वामित्व साबित करने हेतु कोई विश्वसनीय दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी द्वारा अपने वादपत्र में वादग्रस्त मकान का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है, वादपत्र में नक्शा संलग्न होना लेख किया गया है किंतु ऐसा कोई नक्शा संलग्न नहीं किया गया है। साक्ष्य के दौरान सरपंच द्वारा प्रमाणित दर्शित होने वाला नक्शा प्रस्तुत किया गया है किंतु उसे तैयार करने वाले व्यक्ति अथवा प्रमाणित करने वाले सरपंच से भी प्रमाणित नहीं कराया गया है। वादी द्वारा स्वयं को अपने पिता खरगराम द्वारा मौखिक बंटवारे में मकान के दो कमरे दिया जाना बताया गया है जबकि खरगराम की मृत्यु के समय वादी की आयु मात्र 12—14 वर्ष होने से उसके पिता द्वारा अपने

जीवनकाल में बंटवारा करवा के उसका हिस्सा दिया जाना विश्वसनीय नहीं पाया गया है। उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा वादी का दावा प्रमाणित न पाये जाने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गयी है।

—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 3 का निष्कर्ष ::—

33— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा जिन निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी/वादी का दावा निरस्त करने संबंधी निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.06.2025 घोषित की गई है, वह उचित विवेचना पर आधारित है जिससे उसमें विधि एवं तथ्यों के संबंध में कोई भी सारवान त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है। फलतः विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 30.06.2025 की पुष्टि करते हुये अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से **निरस्त** की जाती है। इस संबंध में इस आशय की आज्ञप्ति तैयार की जावे कि :—

1. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
2. अपीलार्थी/वादी स्वयं के अपील व्यय के साथ उत्तरवादीगण का अपील व्यय भी वहन करेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/—
(राजेश कुमार तिवारी)
प्रथम जिला न्यायाधीश
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/—
(राजेश कुमार तिवारी)
प्रथम जिला न्यायाधीश
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

RAJESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by RAJESH KUMAR TIWARI
Date: 2026.08.13 17:05:38 +0530